न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 5/2015/डिक्री

1. रतनलाल पिता मांगू रेगर
2. परसराम पिता मांगू रेगर
3. सुशीला पुत्री मांगू रेगर
4. कंकू पुत्री मांगू रेगर
5. रेखा पुत्री मांगू रेगर
6. मांगीबाई विधवा मांगू रेगर

सभी निवासी गिलुण्ड तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
3. ग्राम पंचायत ताणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ताणा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कपासन
दिनांक 30/04/2012 क्रमांक 374/2007

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक –1 व 2

निर्णय दिनांक – 15.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्टगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गिलुण्ड तहसील कपासन की साबिक आराजी नम्बर 142 रकबा 2.15 है0 जिसके साबिक आराजी नम्बर 145 मी रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा थे, साबिक आराजी नम्बर 145 मी मे से 3 बीघा भूमि अपीलान्टगण के पिता स्वर्गीय मांगू पिता नोला रेगर को दिनांक 27/11/1982 को मिसल नम्बर 48/1982 से 3 बीघा भूमि आंवटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया तभी से अपीलान्टगण के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्टगण आंवटी मांगू पिता नोला रेगर के वारिसान होकर काबिज हो उपयोग

उपभोग करते चले आ रहे है व उक्त आराजीयात अपीलान्टगण के पिता मांगू के नाम पर दर्ज नही होने से अपीलान्टगण ने घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया, उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, उक्त वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मे पांच तनकियात कायम की गयी, जिसमे तनकी संख्या 1 से 4 वादीगण/अपीलान्ट के जिम्मे नियत की गयी, वादीगण अपीलान्टगण की ओर से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त सभी तनकीयाम को प्रमाणित करवाया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादपत्र निरस्त किये जाने की डिक्री पारित कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

2. मौजा गिलुण्ड की साबिक आराजी नम्बर 145 मे से अपीलान्टगण 3 बीघा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे जिसके नवीन भू–प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर 142 रकबा 2.25 है0 भूमि कायम की गयी जिसमे अपीलान्टगण के पिता को आंवटनशुदा रकबा 0.65 है0 रकबा भी चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश की अपीलान्टगण ने अलग से अपील प्रस्तुत की गयी है व अपीलान्टगण आंवटनशुदा आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिससे भी अपीलान्टगण उक्त आराजीयात की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने अधिकारी थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादपत्र निरस्त किये जाने की डिक्री पारित कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात अपीलान्टगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सूचना दिये बगैर गलत रूप से आरक्षित कर दी गयी जिसकी अपीलान्टगण को किसी प्रकार से जानकारी नही थी। अपील अपीलान्ट बिना किसी विलम्ब के बाद जानकारी अन्दर मियाद पेश है। फिर भी विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30/04/2012 निरस्त फरमायी जाकर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र डिक्री फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि प्रश्नगत 0.65 है0 भूमि की किस्त परिवर्तन चरनोट से बिलानाम काबिल काश्त परिवर्तन करने हेतु जिला कलेक्टर

चित्तौडगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12–6(7)04/772 मे पारित आदेश दिनांक 10/05/2004 के विरूद्ध श्रीमान् के न्यायालय मे अपील संख्या 36/2014/एलआर विचाराधीन है। अपीलान्टस के पिता स्वर्गीय मांगू पिता नोला रेगर को दिनांक 27/11/1982 को आंवटित की गई थी। विवादित आराजी पूर्व मे सिवायचक थी जो उनके हक मे आंवटन हुई हैं। सेटलमेन्ट के बाद उक्त साबिक आराजी 145 के हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 2.15 है0 कायम हुए है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी चरनोट हेतु आरक्षित कर दी गई जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2061–64 पेश की गई है। जिसमे नामान्तकरण संख्या 50 के माध्यम से खसरा नम्बर 142 चारागाह हेतु आरक्षित कर दी गई है। प्रार्थी के पिता को हुए आंवटन दिनांक 27/11/1982 की निगरानी जिला कलेक्टर के यहां लम्बित होने के कारण राजस्व रिकार्ड मे उक्त आंवटन के फलस्वरूप अमलदरामद नही हो सका। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर कार्यालय मे निगरानी लम्बित होने के कारण भूमि बिलानाम दर्ज रही। इसी दौरान चित्तौडगढ जिले मे **mass level** पर करीब–करीब सभी बिलानाम भूमियो को चारागाह हेतु आरक्षित कर दिया गया। कालान्तरण मे जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त आंवटन के विरूद्ध की गई निगरानी खारीज कर दी गई। निगरानी दिनांक 27/02/1985 को खारीज करते हुए आंवटन बहाल रखा गया। यह भी निर्विवादित है कि आज भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज है। ऐसी सूरत मे मूल आंवटन के विरूद्ध निगरानी खारीज हो जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि काबिल काश्त एंव कब्जा होने के कारण चारागाह श्रेणी से मुक्त करते हुए पुनः बिलानाम भूमि की श्रेणी मे तब्दील किया जाना उचित है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने के कारण खारीज होने एवं अपील अपीलार्थी स्वीकार होने योग्य है।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक द्वारा बयान किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत की अभिशंषा पर बिलानाम भूमि को चारागाह मे तब्दील किया गया है। जिला कलेक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलार्थी खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई, जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन किया गया जिससे यह जाहिर है कि सारा विवाद अपीलार्थी के पिता को मिसल संख्या 48/1982 के माध्यम से दिनांक 27/11/1982 को साबिक आराजी नम्बर 145 मे से 3 बीघा भूमि आंवटन के विरूद्ध जिला कलेक्टर चित्तौडगढ़ को की गई निगरानी की वजह से उत्पन्न हुआ। उक्त निगरानी हो जाने के फलस्वरूप किये गये आंवटन का राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद नही हो सका। जिसके कारण भूमि बिलानाम काबिल काश्त की श्रेणी मे ही दर्ज रही। कालान्तर मे उक्त अभियोजन खारीज कर दी गई तथा मूल आंवटन बहाल रहा जिसके कारण अपीलान्ट के पिता राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कराने के हकदार तत्समय ही हो गये थे। इसी दौरान जिला कलेक्टर चित्तौडगढ द्वारा पूरे जिले मे **mass level** पर अभियान चलाकर करीब–करीब सभी बिलानाम भूमियो को चारागाह हेतु आरक्षित कर दिया गया जिसके कारण भूमि चरनोट श्रेणी मे हो जाने के कारण नामान्तकरण अपीलार्थी के पिता के नाम राजस्व कर्मचारियो द्वारा दर्ज नही किया जा सका जो कि न्यायोचित नही है। यदि आंवटन की रिवीजन नही होती तो तत्समय ही आंवटी के नाम भूमि दर्ज हो जाती। ऐसी स्थिति मे चलाये गये अभियान के दौरान उक्त भूमि चरनोट श्रेणी मे सेटअपार्ट ही नही होती। उक्त पूरी प्रक्रिया मे अपीलार्थी के पिता रिवीजन खारीज हो जाने के बाद न्याय पाने के पूर्ण हकदार हो जाते है तथा उल्लेखित भूमि आराजी नम्बर 145 भू–प्रबन्ध के पश्चात् नवीन आराजी नम्बर 142 रकबा 2.25 है0 मे से आंवटनशुदा रकबा 0.65 है0 को चरनोट से मुक्त करवाते हुए खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि की किस्म चरनोट से काबिल काश्त करने के सम्बन्ध मे इस न्यायालय मे अन्य अपील संख्या 36/2014/एलआर मे दिनांक 15/02/2018 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12–6 (7) 04 /772 मे पारित आदेश दिनांक 10/05/2004 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए राजस्व ग्राम गिलुण्ड तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 145, भू–प्रबन्ध पश्चात् नया नम्बर 142 रकबा 2.25 है0 मे से अपीलार्थी के पिता श्री मांगू पिता नोला रेगर को मिसल संख्या 48/1982 के माध्यम से दिनांक 27/11/1982 को आंवटित हो जाने के फलस्वरूप, आंवटनशुदा रकबा 0.65 है0 (3बीघा) को चरनोट से मुक्त करते हुए बिलानाम (रकबा राज) काबिल काश्त के रूप/श्रेणी मे पुनः परिवर्तित किया जा चुका है तथा तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रिकार्ड मे उक्त खसरे मे से 0.65 है0 भूमि

की श्रेणी चरनोट से परिवर्तित करते हुए बिलानाम काबिल काश्त दर्ज करने के आदेश दिये जा चुके हैं। इस प्रकार अपील संख्या 36/2014/एलाआर मे पारित आदेश दिनांक 15/02/2018 द्वारा भूमि की किस्म चरनोट से बिलानाम काबिल काश्त श्रेणी मे परिवर्तित कर दी गई है। जिसके कारण अपीलार्थी अपने हक मे उक्त भूमि की खातेदारी एवं तद्नानुसार तरमीम कराने का हकदार हो जाता है जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन ने भी अपने निर्णय दिनांक 30/04/2012 तनकी संख्या 4 के विवेचन मे माना भी है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा प्रकरण संख्या 374/2007 मे पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30/04/2012 अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थीगण को उनके पिता को राजस्व ग्राम गिलुण्ड तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़ की पुरानी आराजी नम्बर 145 बाद सेटलमेन्ट नवीन आराजी नम्बर 142 मे से 0.65 है0 आंवटित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को अपीलान्टस के पिता को आंवटित भूमि पर उक्त हक तक काबिज होने के फलस्वरूप कब्जा अनुसार अपीलान्टस के नाम उपरोक्त उल्लेखित 0.65 है0 भूमि की खातेदारी दर्ज कर, नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ